विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 84

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		1069.90	832.00	1901.90	1059.70	838.00	1897.70	1193.40	878.00	2071.40
पूंजी		*0.10*	...	*0.10*	*0.30*	...	*0.30*	*6.60*	...	*6.60*
जोड़		**1070.00**	**832.00**	**1902.00**	**1060.00**	**838.00**	**1898.00**	**1200.00**	**878.00**	**2078.00**
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	3451	...	5.79	5.79	...	4.50	4.50	...	5.00	5.00
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान										
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता										
2. प्रशासन	3425	25.00	250.00	275.00	20.00	260.00	280.00	25.00	272.00	297.00
3. राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं	3425	864.00	445.81	1309.81	858.00	445.50	1303.50	960.00	471.00	1431.00
4. वैज्ञानिक पूल	3425	...	5.40	5.40	...	3.00	3.00	...	4.00	4.00
5. अनुसंधान स्कीमें, छात्रवृत्तियां और शिक्षावृत्तियां	3425	60.00	125.00	185.00	60.00	125.00	185.00	75.00	126.00	201.00
6. बौद्धिक संपत्ति और प्रौद्योगिकी प्रबंधन	3425	30.00	...	30.00	36.20	...	36.20	34.00	...	34.00
7. नई सहस्त्राब्दी भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल	3425	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00	60.00	...	60.00
8. आधारढांचा नवीकरण और पुनःसज्जा	3425	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
सी.एस.आई.आर. को कुल सहायता		**1035.00**	**826.21**	**1861.21**	**1030.20**	**833.50**	**1863.70**	**1155.00**	**873.00**	**2028.00**
9. अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता										
9.1 सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड को अनुसंधान और विकास स्कीमों के लिए सहायता	3425	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	1.00	...	1.00
9.2 राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम	3425	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	10.00	...	10.00
	जोड़	*11.00*	...	*11.00*	*11.00*	...	*11.00*	*11.00*	...	*11.00*
10. प्रौद्योगिकी संवर्धन, विकास और उपयोग कार्यक्रम (परामर्शी विकास केन्द्र सहित)	3425	23.90	...	23.90	18.50	...	18.50	27.40	...	27.40
	5425	0.10	...	0.10	0.30	...	0.30	0.60	...	0.60
	जोड़	*24.00*	...	*24.00*	*18.80*	...	*18.80*	*28.00*	...	*28.00*
11. सरकारी उद्यमों में निवेश										
11.01 केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक लि.	4859	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
	6859	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	*4.00*	...	*4.00*
12. डीएसआईआर भवन और अवसंरचना	4059	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
कुल जोड़		***1070.00***	***832.00***	***1902.00***	***1060.00***	***838.00***	***1898.00***	***1200.00***	***878.00***	***2078.00***

ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक लि.	12859	...	...	...	...	...	...	4.00	...	4.00
जोड़		**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**4.00**	**...**	**4.00**
ग. आयोजना परिव्यय										
1. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425	1070.00	...	1070.00	1060.00	...	1060.00	1196.00	...	1196.00
2. दूरसंचार और इलेक्ट्रोनिक उद्योग	12859	...	...	...	...	...	...	4.00	...	4.00
जोड़		**1070.00**	**...**	**1070.00**	**1060.00**	**...**	**1060.00**	**1200.00**	**...**	**1200.00**

1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई हैं।

अन्य वैज्ञानिक अनुसंधानः

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता

2. प्रशासन

सीएसआईआर मुख्यालय संगठन का प्रमुख केन्द्र है और प्रयोगशालाओं को, स्थापना करने में, उपकरणों से युक्त करने में अनुसंधान एवं विकास में उत्कृष्टता प्राप्त करने में, बैंड इक्विटी, वित्तीय आत्म-निर्भरता, सार्वभौमिक प्रतिस्पर्धात्मकता का संवर्धन करने में और संगठनात्मक शिक्षा के प्रसार करने में उत्प्रेरण और सरलीकरण का कार्य करता है। स्कीम के माध्यम से सीएसआईआर मुख्यालय में स्थित विभिन्न कार्यात्मक इकाइयाँ/प्रभाग राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को अनुसंधान एवं विकास प्रबंधन में सहायता उपलब्ध कराता है। यह प्रयोगशालाओं, सरकार, संसद और अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के बीच की एक कड़ी है। यह मानव संसाधन विकास, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग, प्रचार और जन संपर्क, निष्पादन समीक्षा, वैज्ञानिक लेखा परीक्षा इत्यादि के लिए प्रयोगशालाओं को सहायता उपलब्ध कराता है।

3. राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ

राष्ट्रीय प्रयोगशाला स्कीम 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और 39 क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से संचालित होती हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अनुसंधान कार्यक्रमों/परियोजनाओं/गतिविधियों को सोलह प्रमुख सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों नामतः अंतरिक्ष विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण एवं आहार प्रौद्योगिकी, जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी, रसायन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भू-प्रणाली विज्ञान, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण; ऊर्जा संसाधन एवं प्रौद्योगिकी; इलैक्ट्रानिकी, फोटोनिकी एवं यंत्रीकरण, इंजीनियरी सामग्री, खनन/खनिज एवं निर्माण प्रौद्योगिकी, भेषज, स्वास्थ्य देख-रेख एवं औषध, हाउसिंग, सड़क एवं निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, संसाधन एवं उत्पाद, चमड़ा, मौसम विज्ञान; ग्रामीण विकास; अनुसूचित जाति/जनजाति और उत्तर पूर्व का कमजोर वर्ग तथा जल-संसाधन एवं प्रौद्योगिकी।

सीएसआईआर की ग्यारहवीं योजना का ध्यान "प्रौद्योगिकी प्रेरित तीव्र समावेशी विकास" पर केन्द्रित होगा। प्रस्तावित परियोजनाएं/कार्यक्रम विशेष रूप से (i) उत्कृष्ट सांस्थानिक परियोजनाएं, (ii) नेटवर्क परियोजनाएं, (iii) अंतः अभिकरण परियोजना और (iv) राष्ट्रीय सुविधा के नाम से जाने जाते हैं। अन्य विषयों के साथ-साथ इन परियोजनाओं में नवीनतर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में क्षमताओं की स्थापना, प्रौद्योगिकीय जानकारी का सृजन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के एक वृहत् दायरे में कार्यक्रम रणनीतिक विकल्प, मानव संसाधन विकास इत्यादि सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त, मौलिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान में इसके प्रतिष्ठानों की मूल सक्षमता बढ़ाई जाएगी।

4. वैज्ञानिकों का पूल

इसका उद्देश्य देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सभी विधाओं में अनुसंधान एवं विकास में योग्यता प्राप्त, उच्च विशेषज्ञ वैज्ञानिकों/अभियन्ताओं और प्रौद्योगिकीविदों के भण्डार के कोटि उन्नयन को बढ़ावा देना और पोषित करना है।

5. अनुसंधान स्कीमें, छात्रवृत्तियाँ और शोधवृत्तियाँ (राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मानव संसाधन विकास)

यह स्कीम देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सभी विधाओं में अनुसंधान एवं विकास में योग्यता प्राप्त, उच्च विशेषता प्राप्त वैज्ञानिकों/अभियन्ताओं और प्रौद्योगिकीविदों के भण्डार के कोटि उन्नयन का संवर्धन और पोषण करने तथा वैज्ञानिक वातावरण के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के संस्थानों में अनुसंधान को प्रोत्साहन और संवर्धन देकर तथा संगोष्ठियाँ/सेमिनार और सम्मेलनों का आयोजन करने के लिए संगठनों को सहयोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास का एक एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने पर केन्द्रित है। नौजवानों के बीच विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए, एक टीम इंडिया भागीदारी के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों को सहयोग देना जारी रहेगा, जिसमें अकादमियों, संस्थागत औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास इकाइयों इत्यादि से प्रख्यात वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की भागीदारी सम्मिलित है। विद्यालय और स्नातकपूर्व स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अभिरुचि, जोश और उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए, सीएसआईआर की प्रत्येक प्रयोगशाला अपने प्रभाव के क्षेत्र में एक विद्यालय और एक महाविद्यालय की जिम्मेदारी ग्रहण करेगी। प्रयोगशाला परियोजना कार्यों और प्रयोगों के लिए अपनी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के साथ-साथ विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और प्रेरक कार्यक्रम चलाएगी।

सीएसआईआर ने ऐसे क्षेत्रों, जिनमें सीमित अवसर एवं चुनौतियाँ हैं, तक सीमित रखने के बजाय भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अनुसंधानकर्ताओं को समर्थन देने के लिए परा-विषयी क्षेत्रों में शोधवृत्तियाँ स्थापित की हैं। सीएसआईआर समुचित प्रेरणा, दक्षता विकास और उपक्रम निधीयन के माध्यम से अपने निजी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान की स्थापना करने के लिए अनुसंधान कर्ताओं में उद्यमशीलता की भावना को भी प्रेरित करता है।

6. बौद्धिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबन्धन

इस स्कीम का उद्देश्य सीएसआईआर द्वारा सृजित बौद्धिक सम्पदा (आईपी) के आयाम और मूल्य को बढ़ाना है और संगठनात्मक रूप से भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समुदाय के साथ सर्वश्रेष्ठ नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी प्रबंधन पद्धतियों की भागीदारी करना है। सीएसआईआर द्वारा प्रतिभूतित बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का आयाम समयानुसार व्यापक रूप से बढ़ा है। फिर भी, प्रमुख कार्य बौद्धिक सम्पदा अधिकार का पर्याप्त और सराहनीय मूल्य प्राप्त करना है।

सीएसआईआर में बौद्धिक सम्पदा अधिकार के क्षेत्र में विशेष रूप से "पारम्परिक ज्ञान", "आनुवंशिक अनुक्रमों" "नेट पर प्रकाशनाधिकार" इत्यादि जैसे कुछ अभी तक के अनसुलझे मुद्दों पर आवश्यक दक्षता और ज्ञानाधार को पुनःपरिष्कृत किया जा रहा है। अंतराष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के क्षेत्र में प्रस्तावित नए विकास और परिवर्तनों पर नीतिनिर्माताओं को उचित प्रकार से सलाह देने का प्रस्ताव है।

7. नई सहस्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल (एनएमआईटीएलआई)

एनएमआईटीएलआई स्कीम "टीम इंडिया" भागीदारी के चुनिंदा आला क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक विश्वव्यापी नेतृत्व का स्थान उपलब्ध कराने के लिए एक साधन के रूप में नवोन्मेष केन्द्रित वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विकासों के उत्प्रेरण पर विचार करती है। दसवीं योजना के दौरान, एनएमआईटीएलआई ने एक ब्रांड इमेज सृजित की है और आज इसे सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) स्कीमों के एक बैंचमार्क के रूप में देखा जाता है, जिसका विभिन्न अन्य सरकारी विभागों द्वारा अनुकरण किया जा रहा है। नवोन्मेष के विकास की आवश्यकता के नवीनतर दृष्टिकोणों का विकास और परीक्षण किया जाएगा। ग्यारहवीं योजना के दौरान एनएमआईटीएलआई के अंतर्गत, बढ़ावा दिए जाने वाली कुछ प्रस्तावित अवधारणाएं निम्नानुसार हैं:

- एनएमआईटीएलआई से पहले और बाद में
- उद्योग में निधीयन (50: 50 शुरुआत)
- उपक्रम पूंजी निधि में सह-निधीयन
- चुनिंदा क्षेत्रों में दीर्घावधि के सतत प्रयास (एनएमआईटीएलआई नवोन्मेष केन्द्र)
- संविभाग निर्माण के लिए शुरुआती स्तर के सम्बन्धित ज्ञान/बौद्धिक सम्पदा का अधिग्रहण

8. स्थानान्तरिक अनुसंधान संस्थान

सीएसआईआर एक नया स्थानान्तरिक अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए एक नई स्कीम का शुभारम्भ करेगा। जैविकी/नैदानिकी अनुसंधान तेजी से अंतर-विषयी बनता जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिकों को स्थानान्तरिक अनुसंधान/स्तंभ कोशिका अनुसंधान इत्यादि पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्यारहवीं योजना के दौरान एक नए संस्थान का सृजन करने का प्रस्ताव है, जो ऐसे कार्यों को लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में करने के लिए समर्पित होगा। प्रस्तावित संस्थान का लक्ष्य होगाः

- आधुनिक जीव विज्ञान की जानकारी का नैदानिक देख-रेख में प्रयोग।
- बड़े पैमाने पर नैदानक आंकड़ों का सुनियोजित संग्रहण और विश्लेषण।
- मानवीकृत औषधियों के साधनों और युक्तियों का विकास।
- पार्किन्सन रोग, टाईप I मधुमेह, रेटिना का अपक्षय, हृदयपेशीय व्यतिक्रमण, मेरुदण्ड क्षति, बहु-विधि दृढ़न और कई अन्य विविध किस्म के रोगों के उपचार के लिए विशिष्ट स्तंभ कोशिका संख्याओं का विकास।

- आणविक रोग-निदानः नए नैदानिक चिन्हकों/उपस्करों/पद्धतियों का विकास और इनकी सेवाएं उपलब्ध कराना तथा आनुवंशिक परामर्श प्रदान करना।
- ऐसे और संस्थानों की स्थापना करने तथा इस क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए देश में पर्याप्त जनशक्ति के सृजन के लिए प्रशिक्षण देना एक प्रमुख कार्य घटक होगा।

इन अध्ययनों के सफलतापूर्वक पूरे होने पर, रोग नियंत्रण को, इसकी मौजूदा स्थिति को एक कला से अधिक विज्ञान में परिवर्तित करने के हमारे उद्देश्य पूरे होंगे।

9. अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता

9.01 *सैंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड की अनुसंधान एवं विकास स्कीमों के लिए सहायता*

सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लि. (सीईएल) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में से एक है, जो अपने अस्तित्व के इन सभी वर्षों में घरेलू-जन्य प्रौद्योगिकियों पर सबसे अधिक आश्रित होने का दावा कर सकता है और इस दृष्टिकोण को जारी रखने के लिए निरन्तर प्रतिबद्ध है। इसे देश में पहली बार, या तो निजी अनुसंधान एवं विकास प्रयासों अथवा प्रमुख राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और रक्षा प्रयोगशालाओं के साथ घनिष्ठ सम्बन्धों के माध्यम से, अनेक उत्पादों/प्रक्रियाओं को विकसित करने का श्रेय प्राप्त है।

सीईएल सौर फोटोवोल्टेक, रेलवे इलैक्ट्रानिक संकेतक और सुरक्षा उपकरण एवं विवेचनात्मक रक्षा अभिप्रयोगों के लिए रणनीतिक इलेक्ट्रानिक्स के अग्रणी क्षेत्रों में लगी हुई है। इस कम्पनी के पास एक आधुनिक ढांचा है तथा यह कम्पनी आईएसओ 9001:2000 प्रमाणन के उक्त क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक गुणवत्ता उत्पादों के निर्माण के लिए एक व्यवस्थित कार्यान्वित गुणवत्ता प्रणाली से युक्त है और प्रत्येक व्यापार समूह से समर्पित, उच्च प्रेरित और पूर्णतः योग्य अनुसंधान एवं विकास इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के एक सुदृढ़ कोर समूह द्वारा समर्थित है, सौर ऊर्जा, प्रणालियाँ और रणनीतिक इलैक्ट्रानिक्स में प्रौद्योगिकी एवं निर्माण में उत्कृष्टता के माध्यम से विपणन नेतृत्व प्राप्त करने के कम्पनी के उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है।

9.02 अन्य स्कीमें/कार्यक्रम

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) (ब.अ. 2007-08 में अन्य स्कीमों के अंतर्गत दर्शाया गया है)

सरकारी साधनों से वित्तपोषित- (एनआरडीसी) (ब.अ. 2007-08 में अन्य स्कीमों के अंतर्गत दर्शाया है। अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं के अनुसंधान और विकास परिणामों के वाणिज्यीकरण और स्वदेशी प्राद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत, एक कम्पनी के रूप में एनआरडीसी की स्थापना हुई थी। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:

- नवप्रवर्तन और ज्ञानान्तरण की सक्रिय पारिस्थितिकी-प्रणाली का विकास
- डिजिटीय ज्ञानाधार का विकास करना
- संपर्कों और समझौतों के प्रत्यक्ष नेटवर्क को तीव्र करना
- ज्ञान प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से अनुसंधान संस्थान एवं उद्योग के बीच शुरुआती सम्बन्धों का विकास करना।

बाजार आसूचना, अनुसंधान और विकास के लिए निर्देश और यदि आवश्यकता हो, बाहरी निधीयन करने के साथ-साथ प्रत्येक सम्बन्ध को सहायता देना।

10. प्रौद्योगिकी संवर्धन, विकास और समुपयोजन कार्यक्रम (परामर्शी विकास केंद्र सहित) (टीपीडीयू)

टीपीडीयू कार्यक्रम देश के अनुसंधान एवं विकास व्यय में अपने हिस्से को बढ़ाने के लिए उद्योग को प्रोत्साहन देने, उच्च वाणिज्यिक सम्भावना की आधुनिकतम विश्व-व्यापी प्रतिस्पर्धात्मक प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए लघु तथा मध्यम औद्योगिक इकाइयों के एक बड़े वर्ग को सहायता देना, प्रयोगशाला स्तर पर अनुसंधान और विकास के तीव्रतर वाणिज्यीकरण का उत्प्रेरण, सम्पूर्ण निर्यातों में प्रौद्योगिकी गहन निर्यातों के हिस्से को बढ़ाना, औद्योगिक परामर्श एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन सक्षमताओं का सुदृढ़ीकरण करने और देश में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के सरलीकरण के लिए प्रयोक्ता अनुकूल सूचना नेटवर्क की स्थापना करने का प्रयत्न करेगा। इस स्कीम के विशिष्ट घटक हैं:

- औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास संवर्धन कार्यक्रम
- प्रौद्योगिकी विकास और प्रदर्शन कार्यक्रम
- नवप्रौद्योगिकी संवर्धन कार्यक्रम
- प्रौद्योगिकी प्रबंधन कार्यक्रम
- अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अंतरण कार्यक्रम
- परामर्शी संवर्धन कार्यक्रम
- प्रौद्योगिकी सूचना सरलीकरण कार्यक्रम
- महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास एवं समुपयोजन कार्यक्रम

परामर्शी विकास केन्द्र (सीडीसी)

परामर्शी विकास केन्द्र की स्थापना एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में जनवरी, 1986 में की गई थी और मई, 1994 से यह अपना कार्य इंडिया हैबिटेट सैंटर काम्पलैक्स में स्थित अपने कार्यालय से कर रहा है। दिसम्बर, 2004 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के स्वायत्त संस्थान के रूप में परामर्शी विकास केन्द्र का अनुमोदन किया गया था। कई वर्षों से केन्द्र का मुख्य ध्यान मानव संसाधनों के विकास, कंप्यूटरीकृत आंकड़ा/सूचना सेवाएं उपलब्ध कराने तथा प्रौद्योगिकीय और प्रबंधकीय परामर्शी क्षमताओं, जिसमें परामर्शी निर्यातों का संवर्धन शामिल है, को सुदृढ़ करने पर केन्द्रित है। इस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य घरेलू उपयोग और निर्यात आवश्यकताओं के लिए औद्योगिक परामर्शी सेवाओं और सक्षमताओं का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन करना है।

12. डीएसआईआर की योजना अलग भवन और इसकी स्वयं की प्रशासनिक अवसंरचना का निर्माण करना है ताकि विभाग के बढ़ते कार्यकलापों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह हो सके।